

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक : 08.03.18

संख्या-3/विविध-01-14/2014- 120(3) /स्वा0, स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्न चिकित्सा पदाधिकारियों को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत कॉलम-4 में अंकित रिक्त पद का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	मूल पदस्थापन	निकासी एवं व्ययन पदा० का शक्ति संबंधी पद
1	2	3	4
1	डा० ललित मोहन प्रसाद	सिविल सर्जन, सारण	क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमण्डल, छपरा
2	डा० धीरेन्द्र नाथ ठाकुर	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर	सिविल सर्जन, बक्सर
3	डा० त्रिवेणी प्रसाद सिंह	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी	सिविल सर्जन, सीतामढ़ी
4	डा० अरविन्द कुमार	जिला वेक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, शेखपुरा	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा

2. नियमित पदस्थापन के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।
3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/विविध-01-14/2014- 120(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 08.03.18

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी